षोडश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-07.03.2017 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री श्याम रजक, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-224) श्री रत्नेश सादा, स०वि०स० श्री मो० नवाज आलम, स०वि०स०	''राज्य के तीन नेत्रहीन दिव्यांग आवासीय विद्यालय यथा; पटना, दरभंगा एवं भागलपुर में से पटना और दरभंगा में कुल चौदह शिक्षकों के पद रिक्त है । राज्य में नेत्रहीन दिव्यांग का कोई भी +2 स्तर का विद्यालय नहीं है । नेत्रहीन दिव्यांग लड़कियों के लिए कोई सरकारी आवासीय विद्यालय नहीं है । अंतर्ज्योति बालिका विद्यालय, (कुम्हरार) पटना को 2008 से अनुदान नहीं मिला है । राज्य में 100% प्रतिशतता वाले नेत्रहीन दिव्यांगो को ही राइटर उपलब्ध कराने का प्रावधान है जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परीक्षा में 40% प्रतिशतता वाले दिव्यांगों को भी राइटर उपलब्ध कराने का निदेश है । अतएव नेत्रहीन विद्यालयों के रिक्त शिक्षक के पदों को भरने, पटना एवं दरभंगा के नेत्रहीन विद्यालय को +2 स्तर का करने, नेत्रहीन दिव्यांग लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने, वन-ग्रेड / वन-क्लास के सिद्धान्त पर राइटर उपलब्ध कराने एवं 40 प्रतिशत वाले दिव्यांगों को भी राइटर उपलब्ध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	समाज कल्याण

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री नीरज कुमार सिंह, स०वि०स० श्री तारकिशोर प्रसाद, स०वि०स० श्री रविन्द्र यादव, स०वि०स० श्री नितिन नवीन, स०वि०स०	"बिहार के मध्य विद्यालय / उच्च विद्यालय में नियोजित शारीरिक शिक्षा शिक्षक (प्रशिक्षित) के संदर्भ में सूचित करना है कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के ज्ञापांक-7/प्रो०-15/2016-1229 पटना, दिनांक-29.11.2016 में शारीरिक शिक्षा शिक्षक को अप्रशिक्षित मानते हुए प्रोन्नति देने एवं प्रधानाध्यापक के पद हेतु अयोग्य माना गया है । उल्लेखनीय है कि सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-V/P4/07/55E-1471, दिनांक-27.05.1955 में डी०पी०एड० योग्यताधारी को सामान्य स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की भाँति वेतन आदि में समतुल्य माना गया है । निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (मा०शि०) के पत्रांक-6066, दिनांक-24.11.1986 में स्पष्ट निदेशित है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को सामान्य शिक्षक की कोटि में मान लिया गया है साथ ही शिक्षक नियोजन नियमावली-2006, 2008 तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश एवं राज्य सरकार द्वारा विशेष शिक्षक नियुक्ति 2010 द्वारा 34540 शिक्षकों की नियुक्ति के क्रम में भी शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (प्रशिक्षित) को सामान्य प्रशिक्षित की भाँति वेतन / वेतनमान दिया गया । भारत सरकार के राजपत्र 2014 में भी यही प्रावधान है । अत: उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों को भी सामान्य शिक्षकों की भाँति स्नातक ग्रेड एवं प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति का लाभ देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

नोट :- क्रम सं०-1, दिनांक-06.03.2017 से स्थगित एवं शिक्षा विभाग से समाज कल्याण विभाग में स्थानांतरित ।

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-7/17- 1621-1633 /वि०स०, पटना, दिनांक-06 मार्च, 2017 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्य मंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / समाज कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6.3.17
(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-7/17- 1621-1633 /वि०स०, पटना, दिनांक-06 मार्च, 2017 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

6.3.17
(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।